राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
केन्द्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर उदयपुर
(दिनांक 16.05.2015 से 05.06.2015 तक)

बोली शुल्क रुपये 500/-

बोली बेचने की अंतिम तिथि :-	08.05.2015 सायं 3:00 बजे तक
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि :-	08.05.2015 सायं 4:00 बजे तक
बोली खोलने की तिथि व समय :-	08.05.2015 सायं 5:00 बजे

भोजन व्यवस्था हेतु बोली प्रपत्र

विषयः- केन्द्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर उदयपुर हेतु भोजन व्यवस्था के लिए बोली।

1. बोलीदाता का नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. दूरभाष संख्या ....मोबाइल नंबर..

   ई-मेल आईडी ....

3. पेनकार्ड नंबर .... प्रतिलिपि संलग्न करें।

4. संदर्भ बोली सूचना दिनांक 23.04.2015 संख्या 02/2015-16

5. बोली शुल्क की राशि रुपये 500/- जरिये रसीद संख्या .... दिनांक .... से जमा कराई गई।

6. धरोहर राशि रुपये ..../- नकद/ ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।

7. बिक्री कर/वेट/सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण-पत्र (छायाप्रति संलग्न करें)

8. अनुभव प्रमाण-पत्र (छायाप्रति संलग्न करें)

9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस (छायाप्रति संलग्न करें)

10. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा जारी बोली सूचना दिनांक 23.04.2015 में वर्णित शर्तों एवं बोली प्रपत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने के लिए सहमत हैं जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

11. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित मीनू (जिसे हमने देख लिया है) के अध्ययन उपरान्त अनुमोदित/निर्धारित मीनू दी गई मात्रा के अनुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के लिए दरें निम्न प्रकार होगी :–

कार्य का विवरण	**दर प्रति खिलाडी प्रतिदिन**
प्रातः की चाय	रुपये ....
प्रातःकाल का नाश्ता	रुपये ....
दोपहर का भोजन	रुपये ....
सांय की चाय	रुपये ....
रात्री का भोजन	रुपये ....
कुल राशि प्रति खिलाडी/ प्रतिदिन रुपये	**रूपये** ....

(यह दर न्यूनतम दर चयन का आधार होगी)

12. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता की अवधि दिनांक 16.05.2015 से 05.06.2015 के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर भोजन व्यवस्था कर दी जावेगी।

13. हमें विदित है कि यह केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर है। अतः भोजन उत्कृष्ट गुणवत्ता का होगा। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझोता नहीं किया जावेगा।

14. ऊपर उद्धरित की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।

15. बोलीदाता की सशर्त बोली को रद्द समझा जावेगा। वास्तविक उपस्थिति/ कूपन के अनुसार फर्म को भुगतान किया जावेगा।

16. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में सुरक्षित है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम व पता ....

मोबाईल नम्बर

प्रतिबंध एवं शर्ते

टिप्पणी :– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी बोलीयें भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। लिफाफे के ऊपर **''केन्द्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर –2015 भोजन व्यवस्था हेतु बोली''** अंकित करें तथा साथ ही लिफाफे पर अपनी फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।

2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलीओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. बोलीदाता को धरोहर राशि रुपये ..../– बैंक ड्राफ्ट/नकद राशि सचिव राजस्थान राजय क्रीडा परिषद, जयपुर, के नाम बोली पत्र के साथ जमा करानी होगी।

4. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे पृथक–पृथक अंकित की जानी चाहिए। बोली प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा। किसी भी कांट–छांट पर बोलीदाता को पूर्ण हस्ताक्षर करने होगें।

5. **न्यूनतम बोलीदाता की दर निर्धारण के लिए बोलीदाता द्वारा बोली फर्म के कॉलम 11 में प्रस्तुत कुल राशि को आधार माना जावेगा।**

6. बोलीयें उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।

7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे पर नही देगा।

8. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

9. धरोहर राशि :–

(क) बोली के साथ (बोली सूचना के अनुसार) ..../– रुपये धरोहर राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नही किया जायेगा।

(ख) असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा संभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।

(ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं को पूर्ण हो जाने के कारण परिषद् कार्यालय के पास पूर्व से जमा राशि धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नही किया जावेगा।

10. धरोहर राशि का समपहरण :– धरोहर राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहीत किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

(iii) जब बोलीदाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हों।

(iv) जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

11. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :—

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से तीन दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 1000/— रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयें स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में धरोहर राशि से कम की नही होगी।

(iii) प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :—

(क) बैंक ड्राफ्ट/नकद

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

12. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :—

(i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृतकरने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकारी सम्बन्धित जिला खेल अधिकारी को होगा।

14. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद् का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

15. ठेकेदार द्वार शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।

16. ठेकेदार द्वारा बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, सेवा कर पंजीयन प्रमाण—पत्र, खाद्य लाइसेंस एवं अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न दिये जायेगें।

17. ठेकेदार को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर एवं बिक्रीकर की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर को बोली नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलायें किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

20. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

21. बोलीदाता को विगत 3 कलेण्डर वर्ष में कम–से–कम 200 व्यक्तियों को लगभग 15 दिन तक भोजन बनाने व परोसने का अनुभव होना चाहिए।

22. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान लगभग 315 प्रतिभागियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। तथापि शिविर प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व व शिविर समाप्ति के एक दिन पश्चात एक टाईम का भोजन आदेशित मात्रा में देना होगा। जो बोली का अंग होगा तथा इस तथ्य को घ्यान में रखते हुए बोली मूल्य अंकित किया जावें। भोजन व्यवस्था की संख्या में कमी या वृद्धि यथा आवश्यकता की जा सकती है परन्तु ऐसी कमी या वृद्धि का प्राप्त बोली की दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वास्तविक उपस्थित संख्या के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।

23. संस्था से भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही होना चाहिए। भोजन कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक उपस्थित रहेगे, इसके पूर्व उपस्थित होना स्वेच्छा निर्भर रहेगा। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।

24. भोजन बनाने हेतु उपयोग में लिया जाने वाला आवश्यक टेन्ट, दरी, कनात, गैस की भट्टी, गैस, टेबल आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अतः समेकित दर खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, भट्टी की मरम्मत–रखरखाव, खाना बनाने के बर्तन, पानी एकत्र करने के बर्तन, खाने के बर्तन, क्राकरी–कटलरी एवं अन्य आवश्यक उपयोगी बर्तन मय समस्त करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावें। गैस सिलेण्डर नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी का उपयोग लेना सुनिश्चित करें।

25. खिलाडियों हेतु दोनों समय चाय, नाश्ता, भोजन बनाना, बनाने खाने के बर्तनों की सफाई एवं परोसने आदि कार्य करने होगे।

26. बोलीदाता को रसोई कक्ष, भोजन स्थल पर पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।

27. भोजन व्यवस्था प्रशिक्षणार्थियों के लिए टेबिल से सर्व करनी होगी एवं अधिकारी/कर्मचारी/प्रशिक्षक/अन्य मेहमान (यदि कोई हो तो) आदि की व्यवस्था टेबिल पर बुफे आधार पर करनी आवश्यक होगी।

28. गुणवत्ता में अतिउत्तम एगमार्क सौ किलोग्राम गेहूं के आटे में 15 किलोग्राम सोयाबीन पाउडर मिलाकर चपाती/रोटी बनानी होगी।

29. यह केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर है। अतः भोजन की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझोता नहीं किया जावेगा। खाने में अतिउत्तम गुणवत्ता एगमार्का की मूंगफली रिफाईण्ड तेल व मसालें को ही प्रयोग में लाना होगा।

30. भोजन बनाने व परोसने में स्वच्छता के मापदण्डों का पालन किया जायेगा। किसी कारण खाद्य अपमिश्रण (रोकथाम) अधिनियम 1955 के तहत मास फूड पॉयजनिंग जैसी घटना कारित होती है तो बोलीदाता इसके लिए जिम्मेदार होगा।

31. भोजन कार्यो का विवरण में दिये गये भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि लेने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

32. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

33. ठेके की अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हडताल की जाती है और संस्था इस अवधि में भोजन कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था पर की गयी व्यय राशि ठेकेदार से वसूलनीय होगी। यह राशि ठेकेदार के बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। इसके उपरान्त भी राशि शेष रहती है तो बोलीदाता जमा कराने केा बाध्य होगा।

34. बोलीदाता द्वारा अपने भोजन कर्मचारियों की हाजरी पंजिका संस्था के मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर्मचारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी। बोलीदाता द्वारा नियुक्त रसोई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।

35. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसाई की सफाई एवं कचरे का उचित प्रकार से निस्तारण व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी।

36. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के चाल–चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वंय जिम्मेदार होगा।

37. चाय, नाश्ता एवं भोजन का भुगतान कूपनों के अनुसार किया जावेगा।

38. सभी वेटर एक निश्चित ड्रेस में उपस्थित रहेगे एवं निर्देशानुसार कार्य करेगे।

39. यदि बोलीदाता संतोषप्रद भोजन सामग्री यथा आवश्यकता व अवधि में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत वसूलनीय होगी।

40. कार्य समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी भी सूरत में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।

42. भोजन स्थल पर पानी के कैम्पर की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जायेगी।

43. <u>परिसमापित नुकसानी</u> :–

1. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए।	2.5 %
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए।	5 %
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अनधिक के लिए।	7.5 %
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए।	10 %

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
5. यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

44. **वसूली** :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सनतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त कि अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

45. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम की शेष शर्तें भी लागू होगी।

उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

मोबाईल नम्बर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

बोलीदाता का नाम व पता ....

....

....

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)
1	बोली प्रपत्र मय शर्तों के हस्ताक्षर कर संलग्न किया।	
2	बोली के साथ धरोहर राशि नकद/ बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।	
3	बिक्री कर/वैट/सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई, यदि कोई हो।	
4	अनुभव प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई। (विगत 3 कलेण्डर वर्ष में कम से कम 200 व्यक्तियों को 15 दिन तक का कार्य अनुभव)	
5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस की छायाप्रति	
6	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहे।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय सील

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने केन्द्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर 2015 में भोजन व्यवस्था हेतु बोली दी है। उसके लिए मैं/हम सक्षम हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम ....
पूर्ण पता ....
....
....
टेलिफोन नंबर (निवास) ....
(कार्यालय) ....
मो0नं0 ....
ई–मेल ....

Rajasthan State Sports Council

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Menu Chart

Prescribed for the players participating in Central/Tribal Coaching Camp in May and June, 2015-16

Morning Tea	**6.00 AM to 6.20 AM**	**1. One Cup of tea 150 ML.**
		2. Two Biscuit glucose (Parle-G)
Break Fast	**8.30 AM to 9.30 AM.**	**1. Sweet Dalia of wheat 50g. (Dry)**
		2. Sprouted gram 30 gm.
		3. Sweet Milk 200 ml.
		4. Bread Slices 4 with 20g. Butter/Gem (2 pcs each).
		5. Two Awala muraba 100gram/ 2 Boiled Eggs.
		6. 100g. Jalebi (Sunday only)
Lunch	**12.30 PM to 1.30 PM.**	**1. Tandoori Roti/Chapati**
		2. Rice Basmati
		3. Dal/Curry
		4. Curd 100g.
		5. Green Vegetable
		6. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc,)
		7. Fruit 150g.
		8. Papar
		9. Achar (Mix)
Evening Tea	**4.00 PM**	**1. One Cup of tea 150 ML.**
		2. Two Biscuit glucose (Parle Namkeen)
Dinner	**8.00 PM to 9.30 PM**	**1. Tandoori Roti/Chapati**
		2. Rice Basmati
		3. Dal
		4. Green Vegetable
		5. Salad (Onion, Tomatto, Lemon, Green Chilly etc,)
		6. Papar
		7. Sweet/Ice Cream 100g.
		8. Three times a week. **(i) For Non-Veg. meat 150g. (Two times in a week Chicken and One time in a week mutton.)** **(ii) For Veg. Malai Kofta or matar paneer 150g.**

Signature of the Contractor